No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Monsoon-2019/ **St. 04/CM-02**

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)

VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 21 .08.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:- Vidhan Sabha Starred Question No. 04 due for 22.08.2019 asked by Shri Vishesh Ravi, MLA.

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/V.S./QB/2144 dated 13.08.2019 received from Dy. Secretary (QB),Delhi Vidhan Sabha, Delhi Secretariat, Delhi on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the competent authority.

Encl: As above.

(Paras Ram)
Director (Admn.& Personnel)
Tel. No. 23544794(O)
Email-id :- djbdirector@gmail.com

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
वरूणालय फेज – 2, करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :– 04

दिंनाक :–22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विशेष रवि, विधायक

क्या मा. मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए क्या प्रक्रिया और औपचारिकताएँ हैं	पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करना होता है। फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है अथवा सम्बंधित क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय में फॉर्म जमा कराया जा सकता है या डोरस्टेप (Door Step Delivery) योजना के माध्यम से भी फॉर्म को जमा करवाया जा सकता है। फॉर्म के साथ पहचान का एक प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं बैंक की पासबुक की कॉपी व जिस प्रॉपर्टी पर कनेक्शन का आवेदन किया हो उसका मालिकाना हक़ से सम्बंधित कागजात को संलग्न करना होता है। (किसी एक की प्रतिलिपि)– रजिस्टर्ड सेल डीड, लीज डीड, रजिस्टर्ड कन्वेन्स डीड/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटरी द्वारा सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पूरे कागजात की श्रंखला, स्पेशल पावर ऑफ ॲटार्नी रेजिस्ट्रेढ/नोटरी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट टू सेल/विल । यदि आवेदनकर्ता किरायदार है तो मकान मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड/ फॅमिली सेटलमेंट डीड, रजिस्टर्ड रिलिंकिश डीड, अलोटमेंट लेटर (प्राइवेट बिल्डर) के साथ रजिस्टर्ड सेल डीड/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, डी.डी.ए. अलॉटमेंट/ म्युटेशन लेटर/ लैंड, डेवलपमेंट लेटर, कोर्ट के आदेश (यदि कोई है तो)। नए जल कनेक्शन का आवेदन फॉम सूचनार्थ संलग्न है। आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच, भवन/ प्लाट पर बकाया राशि की जाँच, अनाधिकृत जल कनेक्शन की जांच, निर्माण कार्य की जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज / डेवलपमेंट चार्ज की राशि (यदि देय है तो) तथा सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा तकनीकी साध्यता (feasibility) की रिपोर्ट के उपरांत कनेक्शन को स्वीकृत किया जाता है तथा नए जल कनेक्शन का बिल आवेदक को भुगतान के लिए दिया जाता है।

PTO

(ख)	क्या कारण है कि उपभोक्ता को पानी का नया कनेक्शन लेने में दो से तीन महीने का समय लगता है जबकि बिजली कनेक्शन लेने में केवल एक सप्ताह का समय लगता है; और	नया जल कनेक्शन लेने के लिए जल बोर्ड की निर्धारित अवधि 15 दिन है। सामान्यत: जल बोर्ड में वर्ष भर में 40 से 50 हज़ार नए जल कनेक्शन के आवेदन प्राप्त होते थे लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा घटे हुए विकास शुल्क मात्र रू. 100/- प्रति वर्ग मीटर तथा अनाधिकृत जल कनेक्शन की योजना लागू होने के उपरांत नए जल कनेक्शन के आवेदको की संख्या में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है,जिस की वजह से नये जल कनेक्शन स्वीकृत करने में अधिक समय लग रहा है। 15 जून 2015 से 10 अगस्त 2019 तक कुल 4,54,387 (चार लाख चौवन हज़ार तीन सौ सत्तासी) नये जल कनेक्शन स्वीकृत किये गए।
(ग)	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नया कनेक्शन लेने में लगने में वाले समय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नया कनेक्शन लेने में लगने वाले समय को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। (1) दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली वाटर एंड सीवर (टैरिफ & मीटरिंग) रेगुलेशन 2012 के अनुसार निर्धारित 35 दिन के समय को घटा कर 15 दिन कर दिया गया है। (2) नए जल कनेक्शन के फॉर्म का सरलीकरण करते हुए दो (पेज) का कर दिया गया है। (3) नए जल कनेक्शन को स्वीकृत करने की प्रक्रिया को डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल किया गया है। (4) एक भूखण्ड अथवा प्लाट में दस (10) कनेक्शनों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। (5) क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए पहले आओ पहले पाओ नियम को लागू किया गया है जिसको प्राप्त होने वाले क्रमांक के अनुसार पंजीकृत (Register) किया जाता है। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण इनका आवेदन रेफरेंस नंबर (ARN) जनरेशन तथा K No. जनरेशन करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) द्वारा एक एप्लीकेशन (App) के जरिये कार्य किया जा रहा है। (6) सभी ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदको के आवेदन रेफरेंस नंबर (ARN) एवं बिल जनरेशन का कार्य क्षेत्रिय राजस्व अधिकारी को करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi